104

पुर्ननिरीक्षण याचिका क्रमांक : ..../2012

प्रस्तुती दिनांक : / /2012

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म.प्र.) के समक्ष

R-2064-PBR/12

(1) हाज़ी गुल मोहम्मद पटेल पिता हाज़ी रहमत पटेल,
(2) उस्मान पटेल पिता हाज़ी रहमत पटेल,
(3) अनवर पटेल पिता हाज़ी रहमत पटेल,
सभी निवासी--23, खजराना, इन्दौर (म.प्र.) .... अपीलार्थीगण/ पुनरीक्षणकर्ता

श्री .... प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 18/6/2012 को प्रस्तुत
388 | 18-6-12

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर .... प्रतिअपीलार्थी/प्रत्यार्थी

पुर्ननिरीक्षण याचिका धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत

सेवा में अपीलार्थीगण की ओर से निवेदन है कि :–

क्रमांक 1480 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक 29-6-12 को प्राप्त राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

यह कि, पुर्ननिरीक्षणकर्ता ने श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, इन्दौर के समक्ष आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 172 भू.रा.सं. 1959 के तहत् प्रस्तुत किया था जो प्रकरण क्रमांक 431/अ–2/2010–11 पर दर्ज हुआ एवं दिनांक 19.07.2011 को उक्त आवेदन पत्र अस्वीकार किया गया, जिसके विरुद्ध अपील क्रमांक 1/अपील/2011–12 प्रस्तुत की थी, जो दिनांक 06.02.2012 को निरस्त की गई है, जिससे पीड़ित होकर यह पुर्ननिरीक्षण याचिका सादर प्रस्तुत है ।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि, पुर्ननिरीक्षणकर्ता की कृषि भूमि सर्वे नंबर 486/1, 486/2, 486/3–पार्ट रकवा 0.100 हैक्टर की भूमि उनके स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि होकर वे उस पर काबिज

अविरत....

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2064-पीबीआर/2012 जिला इंदौर

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12-03-19	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी कलेक्टर न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30-5-2019 को संभागीय आयुक्त के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो। अध्यक्ष	Noted 30-05-19